राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2015-16

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	संगठनात्मक ढांचा	2
3.	स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	3–4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	5–6
5.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ	7
6.	पदोन्नति	8
7.	सार – संक्षेप (Executive Summary)	9

1. **भूमिका** :– आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये है, जिसमे से एक पद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

2. अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

(गृह अभियोजन विभाग)

↓

1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	वरिष्ठ निजी सहायक
10	सहायक अभियोजन अधिकारी(मुख्यालय)
11	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
12	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार
13	प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
14	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

3. **<u>अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है</u>** :–

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण अन्य विभागों में सृजित / प्रतिनियुक्ति के पद
1.	निदेशक अभियोजन	1	1	0	वि.शा.स.गृह के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	1	0	1	नियुक्ति प्रकिया प्रकियाधीन है
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	1	0	1	
4.	उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक	14	4	10	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्रीगंगानगर)अभियोजन पैरवी हेतु
5.	सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक	85	68	17	29(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ठ लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए) विभिन्न न्यायालयो मे पैरवी हेतु कार्यरत
6.	अभियोजन अधिकारी	260	235	25	07 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +2पीटीएस + 1 ए.टी.एस
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	408	143	265	01–सी.आई.डी.सी.बी.
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	2	0	–
9.	निजि सचिव	1	1	0	
10.	वरिष्ठ निजि सहायक	3	3	0	–
11.	प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0	
12.	कार्यालय अधीक्षक	46	20	26	–
13.	निजि सहायक	1	1	0	–
14.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	1	0	–
15.	कनिष्ठ लेखाकार	24	14	10	–
16.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0	–
17.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	–
18.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0	–

19.	शीध्र लिपिक	13	3	10	—
20.	सूचना सहायक	43	0	43	
21.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	125	114	11	—
22.	लिपिक ग्रेड – I	278	150	128	
23.	लिपिक ग्रेड – II	528	178	350	
24.	ड्राईवर	1	0	1	—
25.	जमादार	31	18	13	—
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	400	254	146	—
	योग	**2272**	**1215**	**1057**	**40**

नोट :–

1. **सहायक अभियोजन अधिकारी की 294 पदो पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई जिसके क्रम मे परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है तथा साक्षात्कार होना शेष है।**
2. सहायक निदेशक अभियोजन, अभियोजन अधिकारी व लिपिक ग्रेड द्वितीय की पदोन्नति प्रकिया प्रकियाधीन है।
3. सूचना सहायक के नवसृजित रिक्त पदो पर पदस्थापन हेतु सूचना एंव प्रौद्यिगिकी विभाग को पत्र लिखा गया है।

4. **<u>विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना</u>**:– अभियोजन विभाग के सदस्यों द्वारा की जाने वाली पैरवी व्यवस्था :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुल 15, विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कुल–4 एवं विशिष्ट न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट के कुल–3, विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार के कुल –2 एवं विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी, विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है। सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के कुल –15 अधिकारी अपर लोक अभियोजक के रुप में एडीजे स्तर के न्यायालयों में पैरवी कर रहे हैं। लोक अभियोजक श्रीगंगानगर के पद पर उप निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी द्वारा पैरवी कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष नवम्बर 2015 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 735559 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 217490(29.5 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 518069 (70.4 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (90.4 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 458516(62.3 प्रतिशत) थी, जिनमे से 74585(16.2 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। निर्णित प्रकरण पर दोष सिद्धी 67.7 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह नवम्बर 2015 तक 3848 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 827 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3021 प्रकरण लम्बित रहें। तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 49.0 प्रतिशत रहा है ।

वर्ष अक्टूबर 2015 तक साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 15 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 3 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 12 प्रकरण विचाराधीन हैं।

वर्ष अक्टूबर 2015 तक महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 44875 प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें से 9762 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, 35113 प्रकरण शेष रहे । दोष सिद्धी 35.3 प्रतिशत रही।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में समस्त अपराध वर्ग अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015 नवम्बर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	546914	510536	510077
2.	दायर	263161	264723	233681
3.	योग	810075	775279	743758
4.	कमिट (–)	9249	9649	8191
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	800826	765630	735559
B.	दोषसिद्धि	213638	191508	159530
C.	दोषमुक्ति	22350	16874	16681
D.	अन्य ढंग से	54302	47171	41079
5.	कुल निर्णित प्रकरण	290290	255553	217490
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	510536	510077	518069
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	90.5	91.90	90.40
8.	निर्णय का प्रतिशत	36.2	33.30	29.50

5. **आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ** :–

1. वर्ष 2015–16 मे 229 नवीन पद सृजित हुये जिनमे लिपिक ग्रेड प्रथम के 7 पद, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 210 पद व शीघ्र लिपिक के 8 पद सृजित हुये है।
2. सहायक अभियोजन अधिकारी के 294 पदो पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।
3. वर्ष 2015–16 मे उप निदेशक, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक व सहायक कार्यालय अधीक्षक की पदोन्नति की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक ग्रेड द्वितीय की 21 पदो पर पदोन्नति की जा चुकी है।
4. राजस्थान न्यायिक अकादमी से प्राप्त 485 लैपटाप तथा 10706 कानूनी पुस्तकों का वितरण अभियोजन अधिकारियों को किया गया।
5. बजट घोषणा वर्ष 2015 मे अभियोजन अधिकारियों का वर्दी भत्ता रुपये 2500 से बढाकर 3500 रुपये किया गया।
6. माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा टेलीफोन व्यय के पुनर्भरण की राशि को रुपये 250 से बढाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया।
7. अभियोजन अधिकारियों को डाटाकार्ड व इन्टरनेट की सुविधा हेतु 1000 रुपये डाटा कार्ड क्रय करने व प्रति माह 2 जीबी के इन्टरनेट पुर्नभरण के आदेश जारी किये जा चुके है।
8. सहायक लोक अभियोजक प्रथम व द्वितीय का पदनाम मे संशोधन कर अभियोजन अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारी किया गया।
9. अभियोजन सेवा के भर्ती नियमों में संशोधन किया गया। पूर्व में चयन केवल साक्षात्कार के अंको के आधार पर होता था जिनमे अब चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंको के आधार पर होगा।
10. भवन के मानक मानचित्र का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया।
11. विभाग मे पिछले 15 वर्षों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उप निदेशक अभियोजन स्तर के अस्थायी 691 पदों को अस्थायी से स्थायी करवाया गया।
12. वर्ष 2015 मे 5 पदो पर मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी ।
13. ओसियां , पीपाड व टोक के अभियोजन भवनो का लोकार्पण माननीय गृहमंत्री महोदय द्वारा किया गया।
14. भवनों के सम्बन्ध में जिला मुख्यालय जोधपुर, कोटा एवं राजसमन्द , सुजानगढ(चूरु) व नोखा(बीकानेर) में अभियोजन भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
15. वर्ष 2015 मे संविदा पर सहायक अभियोजन अधिकारी के 14 तथा लिपिक ग्रेड द्वितीय के 24 पद पर नियुक्ति दी है।
16. संभाग स्तर पर उप निदेशक अभियोजन को निरीक्षण हेतु किराये के वाहन उपलब्ध कराये गये।
17. निदेशक महोदय द्वारा वर्ष 2015–16 मे दिसम्बर ,2015 तक 23 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है।

अभियोजन विभाग में वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई है:–

1. सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद पर 3 पदों पर पदोन्नतियां दी गयी।
2. कार्यालय अधीक्षक से प्रशासनिक अधिकारी के 2 पदों पर पदोन्नतियां दी गई।
3. सहायक कार्यालय अधीक्षक से कार्यालय अधीक्षक के पद पर 27 पदोन्नतियां दी गई।
4. लिपिक ग्रेड प्रथम से सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर 104 पदोन्नतियां दी गई।
5. दिनांक 09.09.2015 को वर्ष 2013–14 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक ग्रेड द्वितीय के 21 पदो पर पदोन्नति दी गई है।

इस प्रकार अभियोजन विभाग में वर्ष 2015–16 में लगभग 157 पदो पर पदोन्नतियां प्रदान की गई है।

6. सार – संक्षेप (Executive Summary)

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा, जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारियो के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों में भा.दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये तथा जिनका सजायाबी का प्रतिशत 75% से अधिक है उन्हे प्रशंसा पत्र देने की अनुशंसा की गयी है।

.....